Thakur stating that he is unable to attend the current session of the Rajya Sabha as he is not keeping well for over a month and is undergoing treatment at Hinduja Hospital, Mumbai. He has, therefore, requested for the grant of Leave of Absence for the current (205th) session of the Rajya Sabha.

Does he have the permission of the House for remaining absent from all the sittings of the current (205th) session?

*(No Hon. Member dissented)*

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

---

**Motion for Election to the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps'**

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, with your permission, I beg to move the following motion:

> "That in pursuance of clause (i) of sub-section (1) read with sub-section (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (XXXI of 1948), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps in the vacancy that will be arising therein w.e.f. August 19, 2005 due to the expiry of term of Shri Shankar Roy Chowdhury in Rajya Sabha."

*The question was put and the motion was adopted*

---

**MATTER RAISED WITH PERMISSION**

**Re: Grave situation prevailing in Gurgaon due to agitation by workers of Honda motor cycles and scooters India**

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Mr. Chairman, Sir,with your permission I would like to draw the attention of the House to the very, very grave situation which has come to prevail in Gurgaon, Haryana, as a result of the agitation by the workers, and the attitude of the management of the Honda Company. I think it is necessary to put the whole issue in proper perspective. I visited the place, and, particularly, the General Hospital,

Gurgaon, yesterday along with the Member - elect of this House, Mrs. Brinda Karat.

Sir, the situation prevailing there is very, very unfortunate. After what happened day-before-yesterday, which all of us have seen over the television; the electronic media, the situation continued to remain very critical in Gurgaon yesterday as well. In fact, in front of our eyes, there was a second round of lathicharge and firing of teargas shells within the hospital premises itself.

Now, sir, I will come to the issue which sparked off a sequence of this very unfortunate development. It arises out of the flagrant violation of labour laws enacted by this august House along with the other august House. There are several provisions in our laws about trade unions rights, and as per international covenant of the ILO also, those laws have to be respected in the country because certain questions are also coming up now in the context of what happened day-before-yesterday, and yesterday that whether this will, actually, have a negative effect or an adverse effect on the investment climate of the country. I think we have to understand that whosoever is, actually, investing and running a facility in this country will have to abide by the laws of this country as much as they abide by the laws of their home countries wherever they continue to carry on economic activities.

Now, Sir, a lot of things are being said, but this entire chain of events started in December last,—the present Government in Haryana had not come in place—from the earlier Government itself, in December 2004, when one of the Managers of the Honda Company blatantly kicked a worker. If you look at the situation in the Honda Company, there are about 1600 workers who are on the permanent roles and 1400 are temporary workers, and there are stiff conditions for the conferment of the jobs of these workers. In spite of the persistent efforts of the workers to register a trade union, that could not take place earlier. Now , these things have been happening, and there is a grave atmosphere of uncertainty there among the workers, and it led to the protest demonstration day-before-yesterday and led to an altercation with the police. Now, I know—the hon. Home Minister is sitting here—that for the Government of India to intervene directly , that is not possible. But , I think it is possible for the Government of India to send advisories to the State Government . Sir, the situation that

is prevailing there is actually an expression of a total collapse of the credibility of the local Administration. In fact, yesterday's incident— if you look at— took place, was triggered off by the presence of the Deputy Commissioner there who is widely believed to have spearheaded the barbaric attack on the workers day-before-yesterday, and the Superintendent of Police, Gurgaon also played a very, very destructive role in handling the situation day-before-yesterday. Sir, we are aware of the Government's decision to have a judicial inquiry ordered in this case.

MR. CHAIRMAN: Everything will be covered under the judicial inquiry.

**श्री नीलोत्पल बसु:** सर, मैं दो मिनट और लूंगा।

**श्री सभापति:** आप बोलिए, मैं बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं।

**श्री नीलोत्पल बसु:** सर , मैं उकसाने वाली बात तो कर नहीं रहा हूं लेकिन यह काफी सीरियस मुद्दा है क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन है- हमारा जो सामूहिक माहौल है, आज देश में उद्योग कैसे चलेंगें, कैसे देश के अंदर पूंजी निवेश होगा—इन तमाम चीजों पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। मैं नॉर्मल स्टेट के लॉ ऐंड ऑर्डर वाला कोई सवाल नहीं उठा रहा। इसलिए आपको ऐप्रीशिएट करना होगा कि इस सवाल पर अगर हम इस सदन से एक राय नहीं बनाते, एक मत नहीं बनाते तो इस स्थिति पर जो हम काबू नहीं पा रहे हैं, जो एक भंयकर स्थिति है, इसका सही समाधान हमारी संसद से हो नहीं पाएगा।

**श्री सभापति:** ठीक है, अब खत्म करिए।

**श्री नीलोत्पल बसु:** इसीलिए हमारा कहना है कि ज्यूडीशियल जब भी होगी और उसका नतीजा जब भी आएगा लेकिन अभी, फिलहाल लोगों के अंदर जो भावना है, उसका समाधान करने के लिए यह जरूरी है कि तुरंत, जो प्राइमाफेसी केस है डिप्टी कमिश्नर और सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस को पद से हटया जाए और उसको सामने रखते हुए इस स्थिति के ऊपर काबू पाना नामुमकिन है। दूसरा, कल की जो घटना है, उसका एक बड़ा कारण मिसिंग वाला सवाल है। लोग भटक रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, उनके रिश्तेदारों को पता नहीं चल रहा है कि उनके घरवाले कहां हैं, कम से कम सार्वजनिक रूप से यह सूची जारी की जाए कि कौन लोग कहां पर हैं, कितने लोगों को पकड़ा गया था, कितने लोग जेल में गिरफ्तार हैं, कितने पुलिस की हिरासत में हैं और क्या-क्या धाराएं उनके ऊपर लगायी गयी हैं, किस अस्पताल में कितने लोग हैं-यह कम से कम सार्वजनिक रूप से जारी करना जरूरी है। तीसरी चीज़ यह है कि जो लोग घायल हुए हैं, सरकार की ओर से उनके लिए वाजिब मुआवजे की घोषणा होनी चाहिए। चौथा, जो लॉक आउट भी नहीं है, हॉंडा कम्पनी में और जो 61 लोग हिरासत में हैं जिनके बारे में हमें पता लगा है, उनको बिना शर्त छोड़

देना चाहिए। जांच में जो भी होगा, वह बाद में पता चलेगा लेकिन फिलहाल लोगों का कॉन्फीडेंस रैस्टोर करना सबसे अहम चीज़ है। इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि आपको यह भी देखना होगा और इसमें श्रम मंत्री जी की एवं केन्द्रीय सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए कि हॉंडा कम्पनी ने जो काम किया है, वह कोई सार्वजनिक ऐलान करके कारखाना बंद नहीं किया बल्कि उन्होंने कारखाने का दरवाजा बंद करके रखा और हर मज़दूर को यह बोला जा रहा है कि इनडिविजुअल अंडरटेकिंग देकर ही वे कारखाने के अंदर घुस सकते हैं। यह एक गैर-कानूनी स्थिति है। मेरे ख्याल में इसके लिए हॉंडा कम्पनी को मजबूर करना पड़ेगा कि सामान्य रूप से वह कारखाना खोल दे और सारे लोगों को वापस ले। यह पांच काम करने के बाद भी मेरे ख्याल में हमारी संसद की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। यह सिर्फ हरियाणा का सवाल नहीं है, आज हम देख रहे हैं कि दूसरे ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति:** बस हो गया अब।

**श्री नीलोत्पल बसु:** सर, एक मिनट। यह आपसे भी संबंधित है।

**श्री सभापति:** मुझसे कहां से संबंधित हो गया?

**श्री नीलोत्पल बसु:** हम देख रहे हैं कि there is a very widespread and flagrant violation of the existing labour laws in the country. The Parliament will have to discuss the whole gamut of issues in a structured manner because today, Sir, there is a major change in the pattern of employment in this country. Ninety-two per cent of the people in this country today are employed in the unorganized sector, and the fact of the matter is, there is virtually no way that the employees of this unorganized sector can register themselves as unions. There is flagrant violation of the Minimum Wages Act. So, these are the issues we need to address. For the economic development of the country, for the economic stability of the country, it is absolutely necessary that we ensure a situation in the country whereby the existing labour laws of the land are complied with. Therefore, Sir, यह चीज़ करने के बाद हम आपसे गुजारिश करेंगे, सरकार से भी गुज़ारिश करेंगे कि दोनों सदनों में इस विषय पर, यह जो violation of labour laws हो रहा है, इसके बारे में एक सामूहिक चर्चा करें।

**श्री सभापति:** ठीक है।...(व्यवधान)...

SHRI BALBIR K. PUNJ (Uttar Pradesh): What about the suspension of the Deputy Commissioner and the Superintendent of Police? That is the main thing that needs to be done immediately.

SHRI NILOTPAL BASU: That is our first demand. That is what I am saying, that the hon. Home Minister should advise the State Government to take action.

SHRI BALBIR K. PUNJ: You did not name the DC and SP.

MR. CHAIRMAN: The matter is over. Reply to the short duration discussion...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: You must be more attentive in the House, Mr. Punj.

MR. CHAIRMAN: Please, take your seat.

SHRI NILOTPAL BASU: You have taken a lot of rest outside for all these months.

MR. CHAIRMAN: Please, take your seat.

SHRI NILOTPAL BASU: At least, now that that you are here, you must be more attentive.

MR. CHAIRMAN: Please, take your seat. Now, reply to the discussion on the situation arising due to droughts and floods in various parts of the country, raised by Shri Jayantilal Barot on 26th July, 2005...*(Interruptions)*....

**श्री नीलोत्पल बसु:** सर, होम मिनिस्टर साहब थोड़ा सा इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। यह मामला सदन के ज़रिए पूरे देश के सामने आ गया है, थोड़ा सा वे रिस्पॉन्ड करें।

**श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया** (झारखंड): सर, गुड़गांव में मज़दूरों पर पुलिस ने जो बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया, यह मुद्दा कल मैंने सदन में उठाया था और पूरे सदन ने उसका समर्थन किया था। इस मुद्दे का जवाब कल आया था, जो अधूरा था, जिसके कारण सारा विपक्ष और सारे वामपंथी दलों ने वॉकआउट किया था-क्योंकि यह जवाब अधूरा था।

**श्री सभापति:** अब आप उन्हें पूरा करने दीजिए।...(**व्यवधान**)...

**श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया:** हम असंतुष्ट थे उनके जवाब से। अगर कोई नई बात ...(**व्यवधान**)... आप मुझे सुनेंगे या बोलेंगे?

**श्री सभापति:** अहलुवालिया जी, आप बोलिए।

**श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया:** सभापति महोदय, कल जब हमने ये बातें उठाई थीं, तो वामपंथियों की तरफ से विजयराघवन जी बोले थे। उनको जितनी जानकारी थी, उस पर वे बोले थे। बीच में ही

जब यह बात मैंने उठाई थी कि वहां डी॰सी॰ जब हॉस्पिटल गया, तो फिर लाठीचार्ज हो गया है और लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। माताएं और बहनें अपने बच्चों और भाइयों की मांग कर रही हैं और अंततः लोगों ने डी॰सी॰ के कपड़े फाड़ डाले, ऐसे हालात वहां पैदा हो रहे हैं, तो गृह मंत्री जी बताएं। गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं पूछकर बताता हूं या जो इनफॉर्मेशन उनके पास थी, वे बता रहे थे, जिससे हम असंतुष्ट थे। उसके कारण पूरे के पूरे लोग सदन से बाहर चले गए। परसों की घटना और कल की घटना इतनी दर्दनाक होने के बावजूद, नीलोत्पल जी कल खुद जाकर, चश्मदीद गवाह बनकर, जो कुछ कल मैं बोल रहा था, आज उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो अब तो कम से कम सच्ची बात सदन के सामने रख दें और कार्रवाई करें। ...(व्यवधान)... नीलोत्पल जी, आप तो चश्मदीद गवाह बनकर आए हैं।...(व्यवधान)...

**श्री नीलोत्पल बसुः** जो सच्ची बात है, मैं वही बोल रहा हूं। आपका गवाह नहीं बन रहा हूं।

**श्री एस॰ एस॰ अहलुवालियाः** नहीं, नहीं, मैंने जो बात कही, आपने वही बात अंग्रेजी और हिंदी में बोली और आपको चेयर से परमिशन मिली। कल मैंने यही बात कही।

**श्री सभापतिः** अहलुवालिया जी, गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल):** श्रीमन् माननीय सदस्य ने जो बात बताई है मैंने वह बहुत ध्यान से सुनी है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बातें हमारे सामने रखी हैं, उन पर हम सब लोगों को गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि वहां के जो वर्कर्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए और उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात उनहोंने कही कि यहां पर जो इनवेस्टमेंट हो रहा है उसमें भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और उसके बारे में हमको सदन में बैठकर चर्चा करनी चाहिए। तीसरी बात जो इसमें से निकलकर आ रही है, वह है उस जगह पर शांति और सुरक्षा की। इन तीनों बातों के बारे में अगर चर्चा करना आवश्यक है, तो वह पीठासीन अधिकारी और सरकार की ओर से विचार करने के बाद जो करना है वह जरूर किया जा सकता है। मैं इतना ही कहूंगा कि कल जब चर्चा हुई, इस सदन में और उस सदन में भी, तो दो बातें सामने आईं। एक बात तो यह थी कि कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं? कितने लोग जख्मी हुए हैं, इसके बारे में कुछ साथियों का कहना था कि बहुत लोग ज़ख्मी हुए हैं और वहां की सरकार का कहना था कि इतने ही लोग ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े हमें दिए थे, जो हमने आपके सामने रखे थे। वे सही आंकड़े कौन से हैं, यदि उस पर भी कोई वाद-विवाद हो, तो उसको भी हम हल करने के लिए देख सकते हैं और वह ज्युडिशियल इन्क्वायरी में भी आ सकता है, उसको देख सकते हैं। अब यहां पर एक-दो अहम सवाल उठ रहे हैं कि वह जो कम्पनी है, उस कम्पनी ने क्या किया है और वर्कर्ज के अधिकार के खिलाफ क्या हो रहा है? इसके बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि लेबर मिनिस्टर और लेबर मिनिस्ट्री को उसे देखना जरूरी है। मैं अपने साथी को उसे देखने के लिए

जरूर कहूंगा, और कल यहां यह चर्चा होने के बाद, मैंने खुद मुख्य मंत्री जी से बात की थी और वे बड़ी कृपा करके यहां आए थे। उनके साथ बात होने के समय हमने उनको बताया था कि दोनों सदनों के सदस्यों का कहना है कि मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी काफी नही है, जयुडिशियल इन्कवायरी होनी चाहिए, तो उन्होंने ज्युडिशियल इन्क्वायरी करने की बात मान ली। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे सदन के सम्मानित सदस्य वहां गए थे, वहां के लागों ने उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे उसका नाम मिल जाए या उस अधिकारी का कैसा हुलिया था, यदि उसकी भी जांच के लिए कुछ करना होगा तो मैं करूंगा। अब अधिकारी के खिलाफ जो एक्शन लेने की बात है, यहां डायरेक्शन जाती है कि इसके ऊपर एक्शन ले लो, उसके ऊपर एक्शन ले लो। न आप कहेंगे कि उनको देना चाहिए, मैं उनको कहूंगा कि जो जरूरी है, वह करना पड़ेगा। अगर वहां पर कोई गलत बात हुई है तो उसको ढक कर नहीं रखना है और कोई ऐसी चीज भी नहीं करनी है, जिसकी वजह से दूरगामी परिणाम हमारी आर्थिक उन्नति में, संबंधों में भी रह सकते हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKERJEE (West Bengal): Those workers who have been arrested should be released. It should be directed that without going into the case workers should be released. This should be first gesture. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will convey it to the Chief Minister. He will look into it. If they have been arrested and if some cases have been filed, I will convey to him as to how to deal with it.

MR. CHAIRMAN: Reply to the discussion on the situation arising due to drought and floods in various parts of the country raised by Shri Jayantilal Barot on the 26th July, 2005. When the House adjourned on the 26th July, 2005, the hon. Deputy Chairman announced that the discussion has been concluded and the concerned Minister will reply.

---

## SHORT DURATION DISCUSSIONS

### Drought and floods in various parts of the country—(contd.)

**गृह मंत्री ( श्री शिवराज वी॰ पाटिल)** : श्रीमन् कल जब यहां पर जो चर्चा हुई थी तब मैं इस सदन में उपस्थित नहीं था। उस समय दूसरे सदन में चर्चा हो रही थी, उस समय मेरा वहां होना जरूरी था। यहां जो भी चर्चा हुई और जो भी मुद्दे यहां पर उठाए गए, मैंने उनको देखने की कोशिश की है। उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि चर्चा बड़े अच्छे ढंग से और बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी अच्छी सूचनाएं देते हुए हुई है। इसके लिए मैं सारे सदस्यों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, शायद सारे मुद्दों का जवाब देना,